न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/93/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/166

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री विनीत कुमार गर्ग पुत्र श्री हरिराम अग्रवाल, नि0 किले के पास, पो. मालाखेडा–301406		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 18.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.06.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 16.02.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से (राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर के पत्रांकः 761 दिनांकः 22.03.22 से प्रेषित सूचनानुसार) ग्राम–मालाखेडा अंतर्गत अतिक्रमण हटाने संबंधी सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 646 दिनांकः 24.05.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांकः 645 दिनांकः 24.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को कार्यालय अभिलेख के आधार पर दस्तावेजी सूचना प्रेषित कर विनिश्चय किया जा चुका है। उक्त पत्र पर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त कर लिए जाने बाबत हस्ताक्षर भी अंकित हैं।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 06.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर — राजस्थान सरकार